न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्या–31/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/31)

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा, तहसील व जिला अजमेर।
2. रघुनाथ सिंह पुत्र श्री दातार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मगरा, तहसील व जिला अजमेर।
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उगमाराम
4. सूरजमल पुत्र श्री हीराराम
5. सुगमचंद्र पुत्र श्री हीराराम
   जाति जाट निवासी ग्राम मगरा, तहसील व जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट ग्राम अरड़का विरूद्ध निर्णय दिनांक 3.01.2022 राजस्व वाद संख्या 17/2021.

उपस्थित:–

1. श्री, महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, भीयाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 06.
4. अप्रार्थी संख्या 2 से 05 की तलबी बंद.

निर्णय

दिनांक:– 17.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प् कोर्ट ग्राम अरडका द्वारा प्रकरण संख्या 17/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 प्रस्तुत कर कथन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किए। तत्पश्चात उक्त पत्रावली को

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा अजमेर कैम्प कोर्ट ग्राम अरडका में फोलोअप शिविर में सुनवाई हेतु नियत की जाकर अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए अविधिक रूप से आदेश दिनांक 03.01.2022 प्रदान कर दिया। अतः अपीलांट अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट ग्राम अरडका द्वारा प्रकरण संख्या 17/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट कम पढ़ा लिखा होकर ग्रामीण परिवेश से संबंधित है तथा जिसे कायम मुकाम संबंधित जानकारी नहीं है तथा अपीलांट गत पेशी पर अपने केस संबंधित जानकारी लेने पर अपने अभिभाषक से आकर मिला तब अभिभाषक को सूरजमल के निधन संबंधी जानकारी दी जिस पर अभिभाषक ने अविलंब कायम मुकाम प्रस्तुत करने की कानूनी सलाह प्रदान की जिससे अविलंब उक्त कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर प्रार्थना पत्र जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेंटस की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 795, 796, 797, 815, 810 ग्राम अरडका तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित है उक्त खसरा नम्बर पर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा विवादित खसरा नम्बर 797 बाबत चौसाला नक्शा ट्रेस एवं वर्किंग नक्शा टेस में किसी प्रकार का कोई रास्ता इत्यादि नहीं था परंतु दौराने बंदोबस्त वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधारभूत नक्शा ट्रेस मुर्तिब करते समय बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी न्यायालय के एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात के बीच से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा बंदोबस्त विभाग से सांठ गांठ कर खसरा संख्या 797 मुर्तिब कर बीच में से नक्शे का अंकन करवा लिया गया तथा उक्त दुरूस्ती हेतु अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस द्वारा संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2015 बउनवानी रघुनाथ सिंह बनाम सरकार प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से यह स्पष्ट था कि विवादित आराजीयात बाबत मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता निर्मित नहीं है तथा उक्त दुरूस्ती हेतु अपीलांट ने संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। उक्त समस्त तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.1.2022 पारित किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त धारा के अनुसार खातेदार/काश्तकार की आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1

Scanned with CamScanner

के चाहे गए रास्ते के अनुसार खातेदारों को डी.एल.सी रेट के अनुसार राशि प्रदान करने के पश्चात ही रास्ता दिए जाने का प्रावधान है परंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अविधिक रूप से उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से दिनांक 3.1.2022 को फोलोअप कैम्प अरडका में एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.7.2021 को अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस को बिना नोटिस तामील किए तथा बिना समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अरडका फोलोअप कैम्प में उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु नियत कर केवल नम्बर बढ़ाने के उद्देश्य से उक्त पत्रावली का निर्णय दिनांक 3.01. 2022 को पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि विवादित आराजीयात बाबत संबंधित तहसीलदार अजमेर द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा चुकी है इस प्रकार से यह स्पष्ट था कि विवादित आराजीयात बाबत रास्ता खुलवाने संबंधी कार्यवाहीयां चालू है तथा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत संबंधित पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट में भी इस बात का अंकन किया गया है उक्त समस्त तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.1.2022 पारित किया गया। विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा संबंधित तहसीलदार के समक्ष रास्ता खुलवाए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था तथा संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस को नोटिस भी जारी किए गए थे। जिस बाबत अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट द्वारा उक्त प्रकरण बाबत अपना जवाब भी प्रस्तुत किया गया है नायब तहसीलदार द्वारा उक्त पत्रावली बाबत दिनांक 29.12.2017 को आदेश प्रदान कर दिया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट द्वारा एक अपील जिला कलक्टर, अजमेर क समक्ष अपील संख्या 16/2018 बउनवानी गोपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं राजस्व अपील संख्या 17/2018 बउनवानी सूरज बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई थी जिसे कि न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.11.2019 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट एंव तरतीबी रेस्पोडेंट द्वारा एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अपील एल.आर.एक्ट बउनवानी सूरजमल बनाम सरकार एवं गोपाल सिंह व सरकार प्रस्तुत कर रखी है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 19.1.2022 की पेशी नियत है इस प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रकरण संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होने के उक्त समस्त तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.1.2022 पारित किया गया। संबंधित पटवार हल्का द्वारा बिना मौके पर जाए एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस को सूचित किए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित पत्रावली बाबत एकपक्षीय रूप से मौका रिपोर्ट अंकित कर दी तथा उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट के आधार पर संबंधित न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.1.2022 पारित किया गया। राज्य सरकार की मंशा कैम्प लगाकर राजीनामें के अनुसार प्रकरण का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निस्तारण कराने की रही है लेकिन उक्त प्रकरण में रेसपोडेंट की उक्त पत्रावली मुख्य कैम्प लगने के पश्चात पुनः फोलोअप कैम्प में नियत कर बिना अपीलांट एवं तरतीबी रेसपोडेंटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उक्त समस्त तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3.1.2022 पारित किया गया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट ग्राम अरडका द्वारा प्रकरण संख्या 17/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि ग्राम मगरा तहसील अजमेर स्थित प्रार्थी का कुआ खसरा नम्बर 298 है उक्त कुए पर खसरा नम्बर 301, 300, 297 व 299 है। उक्त खेतों व कुए पर आने जाने के लिए एक मात्र गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 979 है। उक्त रास्ते पर प्रार्थीगण ने गैर इरादतन अतिक्रमण कर लिया है जिसकों खुवाया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ते को खुलवान बाबत अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अजमेर तथा तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया, तब नायब तहसीलदार अरडका ने उक्त प्राथीगण के खिलाफ दिनांक 16.11.2019 को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की ओर दिनांक 29.12.2017 को गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक रिकार्ड में दर्ज है और उक्त प्रार्थीगण अतिक्रमी को बेदखल किए जाने का आदेश दिया और दण्ड स्वरूप लगान एक रूपए की 50 गुणा कुल शास्त्री 50 रूपए आरोपित की गई और अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी में आने जाने का रास्ता जो प्रार्थीगण ने बंद कर दिया उक्त बंद रास्ते को खुलवाए जाने और अतिक्रमण से मुक्त करवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः अप्रार्थी के कुआ खसरा नम्बर 298 एवं खसरा नम्बर 301, 300, 297 व 299 पर आने जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 979 दर्ज है और उक्त बंद रास्ते को खुलवा कर अतिक्रमियों से मुक्त करवाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे जिससे अप्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में किए गए कथन सदभाविक होने तथा न्यायहित में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद

अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि ग्राम मगरा तहसील जिला अजमेर में अवस्थित विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 797 रकबा 0.03 हैक्टर वर्तमान सिवायचक दर्ज होकर किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में चली आ रहा है तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात पर अपीलांट द्वारा कब्जा किया हुआ है, व कब्जे की बेदखली के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश किए जा चुके है जिस पर आज दिनांक तक कोई स्थगन आदेश नहीं है। आलौच्य आदेश दिनांक 3.1.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित प्रकरण बाबत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण में कोई आदेश प्रदान नहीं किए गए है परंतु उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 03.01.2022 की प्रकृति प्रशासनिक आदेश की भांति " तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक पर किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे नियमानुसार हटवाए जाने की कार्यवाही करे" प्रतीत होता है जो कि न्याय संगत नहीं है प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से विवादित आराजीयात बाबत की दादरसी चाही है, प्रार्थी/रेस्पोडेंट विवादित आराजीयात बाबत रास्ता खुलवाने के लिए सक्षम न्यायालय मे आवेदन कर सकते है और तथा यदि पूर्व में विवादित आराजीयात बाबत रास्ता खुलवाने हेतु आदेश हो चुके है तो प्रार्थी उक्त आदेश की पालना/इजराय करवाने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि विवादित आराजीयात वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है, अतः अपीलांट का उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार से कोई विधिक हक एवं अधिकार नहीं बनता है फिर भी उनके द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जो कि अविधिक होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट ग्राम अरडका द्वारा प्रकरण संख्या 17/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner